

14/10/24

पञ्जाबली पैरा कुडी आधिकारिता

वादी अनु.। न्यायालय समय

में आवाज लगावार्ड जादी

उपस्थित नही हुआ वही में

प्रतिवादीगण की तलबी हलु

नोटीस उल्लूत करने के पर्यपि

अवसर दिए गए फिर भी

नोटीस उल्लूत नही किए गए

अतः वादी का वाद पत्र आदेश

०१ नियम २ के तहत बरत हाजि

अदल फरवी में खारिज किया जाव

है। पञ्जाबली फील सुमार होकर

नम्बर से उभर ली

(बिनु देवला)

सहायक कलक्टर एवं
उपब्रह्म अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)